**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3109

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**आठवीं कक्षा के बाद स्कूलों में नामांकन में गिरावट**

**3109. श्री एन॰ गोकुलकृष्णनः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि स्कूलों में नामांकन में संभवतः शिक्षा के अधिकार से सुधार हुआ हो; लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गारन्टीकृत शिक्षा के समाप्त होने के ठीक बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी 14 वर्ष की आयु में स्कूल जाना छोड़ देते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नामांकन में छात्राओं द्वारा स्कूल छोड़ने की दर अधिक है; और

(ग) क्या बीच में स्कूल छोड़ने का एक कारण अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति हो सकती है जिसके अंतर्गत आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)**

(क): एकीकृत जिला सूचना शिक्षा प्रणाली (यूडाइस) 2015-16 के अनुसार, जब निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई), अधिनियम, 2009 कार्यान्वित किया गया था तब प्रारंभिक स्तर पर छात्रों का नामांकन वर्ष 2009-2010 में 18.78 करोड़ से सुधरकर 19.67 करोड़ तक हो गया था। कक्षा VIII से IX तक की छात्राओं की अंतरण दर एकीकृत जिला सूचना शिक्षा प्रणाली (यूडाइस) 2015-16 के अनुसार 90.62% है।

(ख): जी, नहीं। एकीकृत जिला सूचना शिक्षा प्रणाली (यूडाइस) 2015-16 के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 80.97% है और माध्यमिक स्तर पर छात्रों का सकल नामांकन अनुपात 79.16% है। इसके अतिरिक्त, छात्राओं की वार्षिक औसत स्कूल छोड़ने की दर 16.88% है जोकि छात्रों के 17.21% के स्कूल छोड़ने की दर से कम है।

(ग): शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 16 में यह उल्लेख है कि स्कूल में प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के पूरी होने तक किसी भी कक्षा में दुबारा नहीं रखा जाएगा। तथापि, विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने बच्चों के अधिगम स्तर पर इस प्रावधान के विपरीत प्रभाव के मुद्दे को उठाया है। अतः सभी स्टेकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात और प्रारंभिक कक्षाओं में अधिगम परिणामों को सुधारने के उद्देश्य से धारा 16 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ताकि सरकार को किसी भी बच्चे को पांचवीं कक्षा में या आठवीं कक्षा में अथवा दोनों में बरक़रार रखना अथवा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चे को किसी भी कक्षा में न बनाए रखने में निर्णय लेने में सशक्त बनाया जा सके। तदनुसार, शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 11 अगस्त, 2017 को लोक सभा में रखा गया था।

**\*\*\*\*\***